

शंकर लाल बनाम सनिव २०११

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
10/11/24		पत्रावली पेश हुई। अधिगायक आज्ञा को अन्य पूर्वानुसार दिनांक 27/11/25 का
27/11/25		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपा वकील वादी ने प्रतिकारणा की तक्रार को तक्रार पेश नहीं किये। वादी को तक्रार रजिस्ट्रार नोटिस तक्रार पेश करी हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये लेकिन वादी ने रजिस्ट्रार तक्रार पेश नहीं किये। अतः वादी का वाद अयम तकमीक अन्तर्गत एआर ०१ R 5 के तहत NON-Compliance में घोषित किया गया है। पत्रावली नम्बर से एक दोका वाद तकमीक दारिक दफ्तार है। (सुकरा गण)

उप-खण्ड अधिकारी  
जयपुर (द्वितीय)

Reorder  
22.9.21  
900



न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी,  
सांगानेर द्वितीय, जयपुर।

राजस्व वाद संख्या: 127 / 2021

शंकर लाल पुत्र स्व. श्री भौरी लाल, जाति बागडा ब्राहमण, 3  
वर्ष, निवासी ग्राम आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

बनाम

- 1 सचिव महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जे. एल.  
इन्दिरा सर्किल, जयपुर।
- 2 उपायुक्त महोदय, जोन नंबर 14 जयपुर विकास प्रा  
एल. एन. मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर।
- 3 राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर,  
(राजस्थान)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से

कि :-